रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082026-275310
CG-DL-E-08082026-275310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4236] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948
No. 4236] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4414(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में NH 80 के कि.मी. 190.00 से कि.मी.215.00 (साहेबगंज बायपास सहित) और कि.मी. 260.00 से कि.मी.283.00 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को लिखित रूप मे प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप मे या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में NH80 के कि.मी. 190.00 से कि.मी.215.00 (साहेबगंज बायपास सहित) और कि.मी. 260.00 से कि.मी.283.00 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: झारखंड			**जिले का नाम: साहिबगंज**		
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
तालुक का नाम: उधवा					
गांव का नाम: केलाबाड़ी					
1	541	निजी	एग्रीकल्चर (धानी दोयम)	0.281694 (एकर)	0.114
2	542	निजी	एग्रीकल्चर (धानी दोयम)	0.0620221 (एकर)	0.0251
3	553	निजी	एग्रीकल्चर (धानी औवल)	0.155673 (एकर)	0.063
तालुक का नाम: बरहरवा					
गांव का नाम: थोपग्राम					
4	843	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (सड़क)	0.378063 (एकर)	0.153
5	922	निजी	एग्रीकल्चर (बाडी दोयम)	0.0724003 (एकर)	0.0293
6	924	निजी	एग्रीकल्चर (धानी औवल)	0.1823598 (एकर)	0.0738
7	925	निजी	एग्रीकल्चर (धानी औवल)	0.0103782 (एकर)	0.0042

8	926	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (वटस्थान)	0.0474432 (एकर)	0.0192
9	930	निजी	एग्रीकल्चर (धानी सोयम)	0.0160615 (एकर)	0.0065
10	942	निजी	एग्रीकल्चर (धानी सोयम)	0.0400302 (एकर)	0.0162
11	943	निजी	एग्रीकल्चर (धानी दोयम)	0.1450477 (एकर)	0.0587
12	944	निजी	एग्रीकल्चर (धानी सोयम)	0.0160615 (एकर)	0.0065
गांव का नाम: मसलंदपुर					
13	177	निजी	एग्रीकल्चर (धानी औवल)	0.0721532 (एकर)	0.0292
14	179	निजी	एग्रीकल्चर (धानी औवल)	0.3573066 (एकर)	0.1446
15	180	निजी	एग्रीकल्चर (धानी औवल)	0.0224861 (एकर)	0.0091
16	185	निजी	एग्रीकल्चर (धानी दोयम)	0.0133434 (एकर)	0.0054
17	189	निजी	एग्रीकल्चर (धानी दोयम)	0.0699293 (एकर)	0.0283
18	190	निजी	एग्रीकल्चर (धानी दोयम)	0.2535246 (एकर)	0.1026
गांव का नाम: महतापुर					
19	108	निजी	एग्रीकल्चर (धानी दोयम)	0.0432425 (एकर)	0.0175
20	109	निजी	एग्रीकल्चर (धानी औवल)	0.630105 (एकर)	0.255
				Total	**1.1612**

[फा. सं. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80/LA / PKG-II/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4414(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.,), maintenance, management and operation of NH 80 in the stretch of land from Km. 190.00to Km. 215.00 (including Sahibganj Bypass), and from Km. 260.00 to Km. 283.00 in the district of SAHIBGANJ in the state of JHARKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer, Sahibganj in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 80 in the stretch of land from Km. 190.00to Km. 215.00 (including Sahibganj Bypass), and from Km. 260.00 to Km. 283.00 in the district of SAHIBGANJ in the state of JHARKHAND

State: JHARKHAND			**District: SAHIBGANJ**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectares)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Udhwa					
Village: Kelabadi					
1	541	Private	Agriculture (Dhani Doyam)	0.281694 (Acre)	0.114
2	542	Private	Agriculture (Dhani Doyam)	0.0620221 (Acre)	0.0251
3	553	Private	Agriculture (Dhani Owal)	0.155673 (Acre)	0.063
Taluk: Barharwa					
Village: Thopgram					
4	843	Government	Non Agriculture (Road)	0.378063 (Acre)	0.153
5	922	Private	Agriculture (Bari Doyam)	0.0724003 (Acre)	0.0293
6	924	Private	Agriculture (Dhani Owal)	0.1823598 (Acre)	0.0738
7	925	Private	Agriculture (Dhani Owal)	0.0103782 (Acre)	0.0042
8	926	Government	Non Agriculture (Vatsthan)	0.0474432 (Acre)	0.0192
9	930	Private	Agriculture (Dhani Soyam)	0.0160615 (Acre)	0.0065

10	942	Private	Agriculture (Dhani Soyam)	0.0400302 (Acre)	0.0162
11	943	Private	Agriculture (Dhani Doyam)	0.1450477 (Acre)	0.0587
12	944	Private	Agriculture (Dhani Soyam)	0.0160615 (Acre)	0.0065
Village: Maslandpur					
13	177	Private	Agriculture (Dhani Owal)	0.0721532 (Acre)	0.0292
14	179	Private	Agriculture (Dhani Owal)	0.3573066 (Acre)	0.1446
15	180	Private	Agriculture (Dhani Owal)	0.0224861 (Acre)	0.0091
16	185	Private	Agriculture (Dhani Doyam)	0.0133434 (Acre)	0.0054
17	189	Private	Agriculture (Dhani Doyam)	0.0699293 (Acre)	0.0283
18	190	Private	Agriculture (Dhani Doyam)	0.2535246 (Acre)	0.1026
Village: Mahatapur					
19	108	Private	Agriculture (Dhani Doyam)	0.0432425 (Acre)	0.0175
20	109	Private	Agriculture (Dhani Owal)	0.630105 (Acre)	0.255
				Total	**1.1612**

[F. No. NHAI/PD/PIU/SBG/NH-80/LA / PKG-II/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA